



05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि “जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।” उक्त मार्गदर्शिका में अपील/पुनरीक्षण को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले की सुनवाई जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं अपील जिलाधिकारी द्वारा सुना गया है फिर पुनः इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। अर्थात् एक ही वाद में दो जगह अपील सुनना भी विधि के प्रतिकूल है। साथ ही आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता इस बात को साबित करने में असफल रहे कि अपील के विरुद्ध पुनः अपील क्यों/कैसे सुना जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त